न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः— 33 / 2025
जीसीएमएस नंबरः— 2025 / 81

प्रार्थीः—
1. श्रीमती देविका कुमारी उर्फ देविका विशन पुत्री जगतसिंह पत्नी अरूण कुमार विशन, जाति राजपूत निवासी— 24–ए, राइका बाग तह. व जिला जोधपुर।
2. लुतीका सिंह हाडा पुत्री स्व. अरूण कुमार विशन, पत्नी श्री भरत सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी जयवटी सिविल लाईन, तह. व जिला कोटा।

बनाम

अप्रार्थीः—
1. तहसीलदार (भूमिधारी) जोधपुर।
2. प्रयोजना अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार दिल्ली।
3. कुशालराम कच्छावाहा उर्फ कुशालसिंह कच्छावाहा पुत्र स्व. श्री धन्नाराम जी जाति माली उम्र 70 वर्ष निवासी के.के. फिलिंग स्टेशन 8 मील भाटियानाडी मण्डोर जोधपुर।

राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 131, 132 136

दिनांकः— 3.11.2025

—::आदेश::—

उपस्थितिः— 1. श्री अनोपसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण ओर से।
2 अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार जोधपुर।
3 परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिला जोधपुर।
4 श्री हेमंत भाटी, श्री सरज खांन अधिवक्तागण अप्रार्थी सं. 3 की ओर से

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की स्वामित्व की खातेदारी खेत खसरा सं. 77 / 8 रकबा 30 बीघा एवं खसरा सं. 77 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा ग्राम बासनी करवड पटवार क्षेत्र माणकलाव (नया दईजर) तह. व जिला जोधपुर की खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जोधपुर रिंग रोड़ हेतु निर्माण सड़क परियोजना एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में भूमि अवाप्त की गई जो खसरा सं. 78 / 8 व 77 में से की गई जिसका नामा. सं. 458, 459 दिनांक 03.03.2020 क्रमशः रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा एवं 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि रिंग रोड हेतु अवाप्त की गई जिसके बटटा नंबर राजस्व रेकर्ड में 77 / 10 और 77 / 11 दर्ज किए गए। तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में रकबा दर्ज कर दिया गया लेकिन नक्श में किसी प्रकार का तरमीन नहीं की गई अभी हाल ही में ऑनलाईन नक्शा अपडेट करते समय तरमीन गलत दर्ज हो गई है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा खसरा सं. 77 / 8 में से 9 बीघा भूमि कुशालराम कच्छावाहा उर्फ कुशाल सिंह कच्छावाहा पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी 8 मील भटियानाडी मण्डोर को जरिए बेचाननामा से दिनांक 06.06.2024 को उपपंजीयक चतुर्थ जोधपुर में विक्रय विलेख पंजीयन कराया गया। वक्त पंजीयन दस्तावेज के साथ पटवारी द्वारा ट्रेश नक्शा एवं जमाबंदी पेश की गई जिसमें 77 / 10 नहीं दर्शाया हुआ था। प्रार्थीया सं. 1 द्वारा खसरा सं. 77 में से 4 बीघा भूमि श्रीमती श्वेता गांधी पत्नी तरूण कुमार गांधी जाति माहेश्वरी निवासी 24 एफसीआई दिलीप नगर लालसागर जोधपुर को जरिए विक्रय विलेख दिनांक 08.10.2024 को उप पंजीयक द्वितीय में बैचाननामा पंजीकृत कराया गया। वक्त पंजीयन दस्तावेज के साथ पटवारी द्वारा जारी ट्रेश नक्शा व जमाबंदी पेश की गई जिसमें 77 / 11 नहीं दर्शाया हुआ था। उक्त भूमि अवाप्ति के समय राजस्व रिकार्ड में पटवारी के

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

पास संधारित नक्शा में खसरा सं. 77/10 एवं 77/11 तरमीम नहीं दर्शाई गई थी। हाल ही में राजस्व रेकर्ड में ऑनलाईन नक्शे प्राप्त होने पर पृथक–पृथक खसरा की तरमीम दर्शाई गई है। प्रार्थीया ने वसयं के खातेदारी भूमि मौके पर काबिज होने के कारण अन्य खातेदार कुशालराम कच्छावाहा एवं श्रीमती श्वेता गांधी को विक्रय की गई थी। तत्पश्चात् ऑनलाईन नक्शे में वर्तमान खातेदारी भूमि रिंग रोड़ भारत सरकार द्वारा अवाप्त भूमि के आगे वर्तमान रिंग रोड़ की सीमा में आ रही है। अप्रार्थी सं. 1 एवं अप्रार्थी सं. 2 के कर्मचारियों के सहवन के कारण भारत सरकार द्वारा मुख्य परियोजना रिंग रोड जोधपुर की रोड वर्तमान में अवाप्त सुदा भूमि के उपरी हिस्से में निर्माण किया हुआ है तथा खसरा सं. 53 राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि है जो अप्रार्थी सं. 1 के अधीन होने के कारण अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण रिंग रोड़ खसरा सं. 53 व अवाप्त भूमि में से उपरली हिस्से में चल रही है। वर्तमान में रिंग रोड़ खसरा सं. 66/9, 65/8, 77/18, 77/17, 77/19 एवं 53 में वर्ममान में चल रही है जबकि राज्य सरकार द्वारा खसरा सं. 65/9, 65/8, 77/9, 77/10, 77/11 में अवाप्त की गई है। जबकि वर्तमान में आंशिक रूप से खसरा सं. 65/9, 65/8, 77/9, 77/10, 77/11 खातेदारी उपयोग में आ रहे हैं। अतः राजस्व रेकर्ड में नक्शा खसरा सं. 77/9, 77/10, 77/11 के स्थान पर खसरा सं. 77/18, 77/17, 77/19 एवं 53 को राजस्व रेकर्ड में नक्शा को दुरूस्त किया जावे। एवं खसरा सं. 77/18, 77/17, 77/19 एवं 53 को रेकर्ड दुरूस्त करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम से दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रकरण के तथ्यों के संबंध में तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जोधपुर द्वारा रिपोर्ट क्रमांक रीडर/2025/551 दिनांक 20.06.2025 प्रेषित किया जिसमें कथन किया कि ग्राम बासनी करवड के खसरा सं. 77 रकबा 1.6511 हैक्ट. देविका कुमारी पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी राईकाबाग जोधपुर, श्वेता गांधी पत्नी तरूण कुमार गांधी जाति माहेश्वरी निवासी लालसागर जोधपुर दर्ज है। खसरा 77/8 रकबा 2.3715 हैक्ट. लुतिका सिंह हाडा पुत्री अरूण कुमार विशन पत्नी भरसिंह हाडा जाति राजपूत निवासी जयवटी सिविल कोटा, कुशालराम कच्छावाहा उर्फ कुशालसिंह कच्छावाहा पुत्र धन्नाराम कच्छावाहा निवासी भाटियानाडी मण्डोर जोधपुर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पूर्व में तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक भूमि अवाप्ति/रिंग रोड/2020/18–33 दिनांक–03.01.2020 जरिए नामा. 458 के द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का खसरा सं. 77/10 रकबा 1.7482 हैक्ट. भूमि दर्ज हुई तथा खसरा सं. 77 में से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को खसरा सं. 77/11 रकबा 1.8939 हैक्ट. भूमि दर्ज है। वर्तमान में ऑनलाईन नक्शे में उक्त नामा. होने के पश्चात् 77/10, 77/11 की तरमीम नक्शे में दर्ज है। प्रार्थी कुशालाराम कच्छावाहा उर्फ कुशालसिंह कच्छावाहा पुत्र धन्नाराम जाति माली का नाम राजस्व रेकर्ड के खसरा सं. 77/8 में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त संबंध में रजिस्ट्री पेश की गई। रजिस्ट्री में दर्ज दिशाओं अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी खसरा सं. 77 में से 4 बीघा भूमि श्वेता गांधी पत्नी तरूण कुमार गांधी जाति माहेश्वरी निवासी लालसागर जोधपुर को बैचान की जो जरिए नामा. सं. 584 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में श्वेता गांधी के नाम से दर्ज है। खसरा सं. 77/11 राजस्व रेकर्ड में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है। भूमि अवाप्ति का नामा. आदेश दिनांक 03.01.2020 का है। तहसील ऑनलाईन का कार्य चल रहा था। ऑनलाईन नक्शे में 77/10 व 77/11 की तरमीम दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा सं. 77/8 व 77 में अवाप्ति का नामा. दर्ज है। उसी अनुसार ऑनलाईन नक्शे में तरमीम हुई है। बंटवाड़ा पश्चात् प्रार्थी खातेदार की तरमीम संभव है। वर्तमान में मौके पर चल रही सड़क व नक्शे में दर्ज एन.एच. ए.आई. की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर सड़क तरमीम से उत्तर दिशा की तरफ चल रही

उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थी सं– 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि दिनाँक 06.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थी संख्या 2 की ग्राम बासनी करवड़, पटवार क्षेत्र, माणकलाव की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 77/8 में से 09 बीघा भूमि, जो मुख्य रिंग रोड, जोधपुर पर स्थित हैं, उसे जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद किया गया। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड/जमाबन्दी में आराजी संख्या 77/8 के प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 3 संयुक्त खातेदार हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जोधपुर रिंग रोड़ हेतु आराजी संख्या 77/8 में से 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि अवाप्त की गयी एवं उसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 458 दर्ज किया गया एवं राजस्व नक्शा में भूमि अवाप्ति के बाद तरमीन गलत दर्ज हैं। मूल रूप से ग्राम बासनी करवड़, पटवार क्षेत्र दईजर, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 77/8 की कुल भूमि 30 बीघा थी। जिसमें से 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि रिंग रोड़ के निर्माण हेतु अवाप्त की गयी। तत्पश्चात् शेष 19 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा दिनाँक 06.09.2024 को खसरा संख्या 77/8 की 09 बीघा भूमि खातेदार प्रार्थी संख्या 02 लुतिका सिंह हाडा से जरिये पंजीकृत बेचाननामा क्रय की गई। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा खसरा सख्या 77/8 में से 09 बीघा भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् मूल खातेदार प्रार्थी संख्या 02 की 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि शेष रहीं। यह हैं कि खसरा संख्या 77/8 की सम्पूर्ण भूमि रिंग रोड़ के मध्य बिन्दू से होकर उसके दक्षिण दिशा में हैं। जिसमें से ही अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा दिनाँक 06.09.2024 को 09 बीघा भूमि क्रय की गयी। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जो भूमि क्रय की गयी वो भी रिंग रोड़ के दक्षिण दिशा में होकर रिंग रोड़ के समानान्तर हैं। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा क्रय की गयी भूमि मुख्य सड़क पर स्थित होने के कारण ही उसी अनुरूप कीमत अदा कर क्रय की गयी। खसरा संख्या 77/8 में से जो भूमि रिंग रोड़ के लिये अवाप्त की गयी उसकी तरमीन गलत रूप से की जाकर रिंग रोड़ के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 77/17 के रूप में दर्शायी गयी, जो कि वर्तमान में रिंग रोड़ के मध्य में हैं। जबकि खसरा संख्या 77/8 की भूमि का कोई भाग रिंग रोड़ के उत्तर दिशा में स्थित ही नहीं था। खसरा संख्या 77/8 में से अवाप्त की गयी भूमि का खसरा संख्या 77/17 के रूप में रिंग रोड़ के उत्तर दिशा की ओर पूर्णतया गलत रूप से तरमीन की गयी हैं। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनाँक 06.09.2024 को प्रार्थी संख्या 2 से आराजी संख्या 77/8 की 09 बीघा मुख्य सड़क पर स्थित भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख के साथ संलग्न नक्शा अनुसार खरीद की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 अपनी क्रय शुदा भूमि पर पंजीकृत विलेख के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित चतुर्सीमाओं के अनुसार मौके पर काबिज हैं। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा क्रय की गयी सम्पूर्ण भूमि रिंग रोड़ के समानान्तर हैं। स्वयं प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को आराजी संख्या 77/8 में से 09 बीघा भूमि दिनाँक 06.09.2024 को विक्रय करना स्वीकार किया हैं एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी हैं। उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उसकी राजस्व रिकार्ड में तरमीन किये जाने के संबंध में बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद भी आज दिनाँक तक उसकी तरमीन नहीं की गयी। अप्रार्थी सख्या 03 द्वारा इससे पूर्व भी दिनाँक 25.03.2025 को क्रय की गयी भूमि के तरमीन के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसलिये आराजी संख्या 77/8 की सम्पदाओं का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 188 के तहत् चूंकि आराजी संख्या 77/8 के सहखातेदारों के मध्य कोई विवाद नहीं हैं इसलिये रिकार्ड व कब्जे के अनुसार सही स्वरूप में तरमीन किया जाना आवश्यक हैं। प्रकरण में श्रीमान् तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 77/8 का संयुक्त खातेदार होना व रजिस्ट्री में दर्ज दिशाओं के अनुसार काबिज होना स्वीकार किया गया हैं एवं जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी अभिवचन किया गया हैं कि वर्तमान में मौके पर चल रही सड़क व नक्शे में दर्ज एन.एच.ए. आई की तरमीम में भिन्नता है। प्रकरण में एल.ए प्लान के अनुसार प्रस्तावित रिंग रोड़ के उत्तर दिशा में खसरा सख्या 77/8 की कुछ भूमि दिखाई गयी हैं एवं मौके पर रिंग रोड़ का निर्माण किया गया, उसके उत्तर दिशा में प्रार्थी संख्या 02 की खसरा सख्या 77/8 की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

स्थित नहीं हैं। वर्तमान रिंग रोड़ के उत्तर दिशा में वर्तमान खसरा संख्या 77/17 (जो खसरा संख्या 77/8 का भाग) के रूप में तरमीन कर नवीन खसरा सख्या का सृजन किया गया हैं वो पूर्णरूप से त्रुटिपूर्ण हैं, जो निरस्त योग्य हैं, क्योंकि खसरा सख्या 77/8 की भूमि वर्तमान में मौजूदा रिंग रोड़ के मध्य से शुरू होकर रोड़ के समानान्तर सम्पूर्ण भूमि दक्षिण दिशा में हैं। खसरा सख्या 77/8 की त्रुटिपूर्ण तरमीन को दुरस्त को किया जाता हैं तो अप्रार्थी संख्या 03 को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जो जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनाँक 06.09.2024 को खसरा सख्या 77/8 की भूमि क्रय की गयी वो रिंग रोड़ के दक्षिण दिशा में रोड़ के समानान्तर हैं। प्रकरण में स्वयं प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को खसरा संख्या 77/8 की 09 बीघा भूमि विक्रय करना व तहसीलदार जोधपुर द्वारा विक्रय विलेख में दर्ज दिशाओं के अनुसार काबिज होना स्वीकार किया गया हैं। जिससे यह स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं हैं। जिसकी तरमीन किया जाना आवश्यक हैं। अतः ग्राम बासनी करवड़, पटवार क्षेत्र माणकलाव की आराजी संख्या 77/8 की जोधपुर रिंग रोड़ हेतु अवाप्त की गयी भूमि के कार्यवाही के दौरान् की गयी त्रुटिपूर्ण तरमीन को दुरस्त करने एवं अप्रार्थी सख्या 3 द्वारा क्रय की गयी भूमि का विभाजन/तरमीन किया जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त खसरे की भूमि अवाप्ति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा वर्ष 2013 में अवाप्त की गई थी, जिसका मुआवजा भुगतान भी प्राधिकरण जोधपुर द्वारा ही किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जोधपुर रिंग रोड़ चरण प्रथम का निर्माण किए जाने हेतु 60 मीटर का मार्गाधिकार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराया गया था एवं सड़क निर्माण कार्य किया गया था। जो.वि.प्रा. द्वारा खसरा सं. 77 में से 1.8939 हैक्ट. भूमि 77/1 में से 0.0081, 77/2 में से 0.8579 और 77/8 में से 1.7482 हैक्ट. भूमि अवाप्त की गई थी। जिसका नामा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है एवं भूमि का मालिकाना हक भा.रा.रा.प्रा. का ही रहेगा। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा सं. 77 व उसके बट्टा नंबर के राजस्व रेकर्ड व नक्शा को दुरूस्त किया जाता है तो इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियां, खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रतियां, बैचानामा देविका कुमारी बहक श्वेता गांधी, रिपोर्ट भू.अ. माणकलाव पेश किए। सुनी गयी बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रकरण धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नियम की धारा 136 निम्न हैः– " भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी तब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो'।

चूंकि अप्रार्थीगण को उक्त त्रुटि शुद्ध किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार जोधपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा सं. 77/8, रकबा 30 बीघा एवं ख.सं. 77, रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा, ग्राम बासनी करवड़, तहसील जोधपुर की है। दिनांक 03.03.2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जोधपुर रिंग रोड परियोजना हेतु उक्त भूमि का आंशिक अवाप्ति नामा क्रमांक 458 एवं 459 के तहत खसरा सं. 77/10 (10 बीघा 16 बिस्वा) एवं 77/11 (11 बीघा 14 बिस्वा) के

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

रूप में किया गया। राजस्व रेकॉर्ड में तो उक्त नामांतरण दर्ज कर दिया गया, परंतु नक्शा में उचित तरमीम नहीं की गई। वर्तमान में मौके की स्थिति, ऑनलाइन नक्शे में दर्ज स्थिति से मेल नहीं खा रही है। विधिक प्रावधान अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा त्रुटि को स्वीकार किये जाने की स्थिति में दुरुस्ती किये जाने में कोई विधिक बाध्यता नहीं है तथा मौके पर जैसे पक्षकारान का कब्जा है वैसे ही राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज होना चाहिए जब उभयपक्ष सहमत हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत् प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत ग्राम बासनी करवड़ पटवार हल्का दर्जजर भू.अ. निरीक्षक माणकलाव तह. व जिला जोधपुर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी नक्शा में खसरा सं. 77/9, 77/10, 77/11 के स्थान पर खसरा सं. 77/18, 77/17, 77/19 एवं 53 शुद्ध किये जाने के आदेश भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दिए जाते है। तहसीलदार जोधपुर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में मौके व हिस्से अनुसार शुद्धि कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को से अवगत करावे।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 03/06/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (जिला) जोधपुर